

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-90/2021-22/ 25

/मत्स्य/राँची/दिनांक 29.03.2025

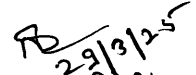
आवंटन शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मॉग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40) अंतर्गत स्टेट टॉप-अप मो0 600.00 लाख (छः करोड़) रु0 मात्र के निधि का आवंटन सामान्य स्वीकृत्यादेश सं0 56 रा0 (वि0) दिनांक 06.03.2025 के आलोक में मत्स्य निदेशालय आवंटन सं0 17 (आ0) दिनांक 11.03.2025 द्वारा आवंटित है।

स्वीकृत्यादेश सं0 56 रा0 (वि0) दिनांक 06.03.2025 के कंडिका-14 को वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 297/बजट दिनांक 26.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के शुद्धि-पत्र सं0 375 दिनांक 29.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संशोधित किया गया है।

उक्त के आलोक में मत्स्य निदेशालय आवंटन सं0 17 (आ0) दिनांक 11.03.2025 की कंडिका-2 यथा संशोधित समझे जाएँगे।

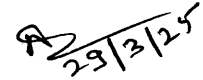
अनु0-यथोक्त।


(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-90/2021-22/ 25 /मत्स्य/राँची/दिनांक 29.03.2025

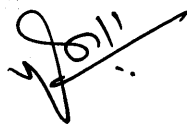
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश सह SNA, PMMSY/उप मत्स्य निदेशक सह नोडल पदाधिकारी, SNA SPARSH, PMMSY, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/निदेशक मत्स्य के सचिव, मत्स्य निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

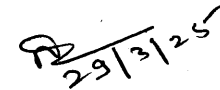


निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं0सं0-म0नि0-II-उ0यो0-90/2021-22/ 25 /मत्स्य/राँची/दिनांक 29.03.2025

प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।





निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं० सं०-म०नि०-II-उ० यो०-९१ (छाया)/2021-22/375/मत्स्य/राँची, दिनांक 29-03-2025

शुद्धि-पत्र

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता (मत्स्य प्रभाग) द्वारा केन्द्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के विरुद्ध स्टेट टॉप अप सहायता योजना अंतर्गत निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 56 रा० (वि०) दिनांक 06.03.2025 में SNA - SPARSH Module के तहत राशि के व्यय हेतु कंडिका '14' को तकनीकी कारणों से वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 297 दिनांक 26.03.2025 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में निम्नवत संशोधित समझा जाए :-

1. कंडिका '14' - "संदर्भित स्टेट टॉप अप राशि के भुगतान को SNA - SPARSH प्रणाली से exempt करते हुए, Normal Treasury Payment की प्रणाली का उपयोग किया जाय। इस संबंध में कोषागार द्वारा PFMS पोर्टल पर Bill प्रेषित नहीं किया जायेगा। भुगतान की जाने वाली राशि का लेखांकन SLS (State Linked Scheme) Account के विरुद्ध नहीं किया जायेगा बल्कि संबंधित कोषागार के RBI Account के विरुद्ध किया जायेगा। संदर्भित भुगतान एवं लेखांकन प्रक्रिया हेतु General Financial Rules तथा झारखण्ड कोषागार नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) होंगे जो दिये गये जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (स्वीकृत्यादेश सं० 56 रा० (वि०) दिनांक 06.03.2025 के साथ संलग्न परिशिष्ट I A', 'I B' तथा 'I C' एवं 'II A', 'II B' तथा 'II C') के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।"

2. उपरोक्त संशोधन के क्रम में उक्त स्वीकृत्यादेश के लिए निर्गत आवंटनादेश सं० 83/आ० (वि०) दिनांक 11.03.2025 की कंडिका-8 यथा संशोधित समझा जाय।
3. निर्गत मूल स्वीकृत्यादेश सं० 56 रा० (वि०) दिनांक 06.03.2025 की अन्य प्रावधान/शर्तें यथावत रहेंगी तथा इनका अक्षरशः सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रस्ताव एवं शुद्धि पत्र प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
5. शुद्धि पत्र प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 375/राँची, दिनांक 29-03-2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 375 / राँची, दिनांक 29-03-2025

प्रतिलिपि: योजना-सह-विकास विभाग/वित्त विभाग/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त
राँची

स

सरकार के सचिव

पत्रांक-23/विविध-SPARSH-28/2024-25/297/बजट
झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

राँची, दिनांक : 26.03.2025

प्रेषक,

चन्द्रमूषण प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
मत्स्य निदेशालय,
झारखण्ड, राँची।

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्टेट टॉप अप सहायता के लिए स्वीकृत राशि के संबंध में।

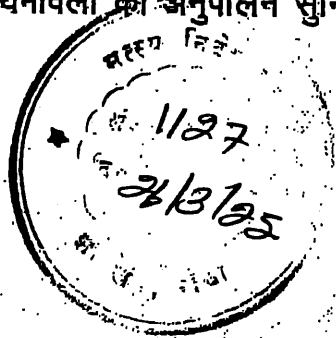
प्रसंग : आपका पत्रांक-478 दिनांक-06.03.2025।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मात्र स्टेट टॉप अप सहायता के व्यय के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में मात्र स्टेट टॉप अप सहायता का व्यय निम्नबत प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है:-

1. संदर्भित Top-up राशि के भुगतान को SNA SPARSH प्रणाली से exempt करते हुए, Normal Treasury Payment की प्रणाली का उपयोग किया जाय। इस संबंध में कोषागार द्वारा PFMS पोर्टल पर Bill प्रेषित नहीं किया जायेगा।
2. भुगतान की जाने वाली राशि का लेखांकन SLS (State Linked Scheme) Account के विरुद्ध नहीं किया जायेगा बल्कि संबंधित कोषागार के RBI Account के विरुद्ध किया जायेगा।
3. संदर्भित भुगतान एवं लेखांकन प्रक्रिया हेतु General Financial Rules तथा झारखण्ड कोषागार नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।



विश्वासमय

(चन्द्रमूषण प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 23/विविध-SPARSH-28/2024-25/297/बजट दिनांक-26.03.2025

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/ कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा
कोषागार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/3/2025

(चन्द्रमूषण प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।